उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-138/3307/पांच-8-2016-म0(25)/2012
लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-279/पांच-8-2012-म0(25)/2012, दिनांक 28-02-2012 द्वारा डा0 शिखा सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 सिंह द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा डा0 सिंह की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरा, प्रतापगढ़ में तैनात किया गया, जहां डा0 सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 शिखा सिंह का चयन एम0डी0(बायो केमेस्ट्री) में हो जाने के कारण पी0जी0 अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04-06-2012 प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गयी। डा0 शिखा सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 24-08-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 03-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शिखा सिंह, एम0डी0(बायो केमेस्ट्री) को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि एवं अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 शिखा सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22-01-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-138/3307(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शिखा सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 22-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/गोरखपुर मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़/गोरखपुर।

6- कोषाधिकारी, प्रतापगढ़/गोरखपुर।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-139/4069/पांच-8-2016-म0(25)/2012
लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-279/पांच-8-2012-म0(25)/2012, दिनांक 28-02-2012 द्वारा डा0 धनन्जय कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 सिंह द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र द्वारा डा0 सिंह की तैनाती नया प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्र, परसौना(घोरावल), सोनभद्र में तैनात किया गया, जहां डा0 सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 धनन्जय कुमार सिंह का चयन एम0डी0(कम्युनिटी मेडिसिन) में हो जाने के कारण पी0जी0 अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29-06-2012 प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 धनन्जय कुमार सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 16-08-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 21-09-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 धनन्जय कुमार सिंह, एम0डी0(कम्युनिटी मेडिसिन) को मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि एवं अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 धनन्जय कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22-01-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-139/4069(1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 धनन्जंय कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 22-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्यांचल(मिर्जापुर) मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र।

6- कोषाधिकारी, सोनभद्र।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।